

कार्यालय अंचल अधिकारी, करा।

आदेश क्रम

अनिलेख वाद सं०-.....535...../2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(b) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* की गई कार्रवाई की टिप्पणी

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि

26-11-2020

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलजा खास भूमि की कायम की गयी जनाबदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -
 मौजा हाला बुद्धिया थाना नं० 95 खाता नं० 55 खं०सं० नं० 505
642 रकबा 0.40 एकड़ की भूमि जो गैरमजलजा
1.41 खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 99.90 पर जमाबंदी रैयत रीखा
रुसा

पिता/पति राणा रुसा के नाम से कायम है।
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति काश्ति करना है।
 प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(b) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दूत दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(b) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अनिलेख दिनांक 08/12/2020 को रखें।

अंचल अधिकारी



आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
09.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत रीझा मुण्डा पिता राणा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 5033559 वर्ष 2012-13 एवं Form-M (Rent Shedule) वर्ष 1970-71 का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त हैं।</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा कालामुचिया, थाना नं० 95 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55, प्लॉट सं० 642, गैरमजुरुआ खास परती पत्थर दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 99, 90 में खाता सं० 55 प्लॉट सं० 505 एवं 642 रकबा क्रमशः 0.40 एवं 1.01 एकड़ रीझा मुण्डा पिता राणा मुण्डा के नाम से दर्ज है। सर्वे खतियान में खाता सं० 55 प्लॉट सं० 505 गैरमजुरुआ खास दर्ज नहीं है। पंजी II रैयत के वंशजों द्वारा प्लॉट सं० 642 रकबा 1.01 एकड़ का लगान निर्धारण प्रपत्र Form-M प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का प्लॉट सं० 642 पर लगभग 45 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 55 प्लॉट सं० 642 रकबा 1.01 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	